(५२)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 45/दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-7-2012 पारित व्दारा - अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 11/2011-12 निगरानी

1. शहजाद अली पुत्र आविद अली
2. शहीद अली पुत्र आविद अली
जति मुसलमान ग्राम कचनार
तहसील व जिला अशोकनगर ---आवेदकगण

विरूद्ध

रहमतअी पुत्र नजरअली मुसलमान
ग्राम कचनार तहसील व जिला अशोकनगर ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.एल.धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 7-1-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 11/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-7-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा पिपरिया काछी (कचनार) स्थित भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 3.156 हैक्टर के भूमिस्वामी आविद अली पुत्र नजरअली थे, जिनकी मृत्यु उपरांत आवदेकगण ने उक्त भूमि पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार वृत्त कचनार

तहसील अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 12 अ 6/09-10 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10-7-10 पारित करके बसीयत के आधार पर आवेदगण का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 119/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-9-2011 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-7-10 निरस्त किया गया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 11/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-7-12 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में इस्तहार का प्रकाशन सम्यक तरीके एंव नामान्तरण प्रकिया के अनुरूप होना नहीं पाया गया है। आवेदकगण एंव अनावेदक जाति के मुसलमान है जो मुस्लिम लॉ से शासित हैं । मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण भूमि की बसीयत नहीं की जा सकती है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने एंव बैधानिक प्रकिया अपनाकर वादग्रस्त भूमि पर

नामान्तरण किये जाने हेतु प्रकरण पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर अशोकनगर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.9.2011 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी उभय पक्ष को तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपना-अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नजर नहीं आती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-7-12 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर